

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

क्रमांक :- 701

दिनांक :- 05/06/2025

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 660 दिनांक 31.05.2025 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, टोंक को अति आवश्यक कार्य होने से जयपुर जाने के कारण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, टोंक को शादी समारोह में शामिल होने हेतु आगरा जाने के कारण संशोधन कर दिनांक 07.06.2025 व दिनांक 08.06.2025 के राजकीय अवकाशों के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करेंगे एवं दिनांक 08.06.2025 की प्रोटोकॉल इ्यूटी के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे। माह जून-2025 की दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	07.06.25
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, टोंक	निधि शर्मा	9461322165	08.06.25

सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इ्यूटी

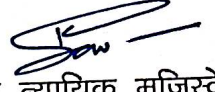
क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	माध्वी गोस्वामी	9352972171	08.06.25

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इ्यूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश

प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

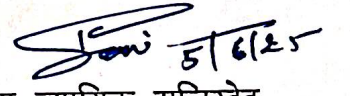

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 702-7/2.

दिनांक :- 05/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1 व 2 टोंक।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)